चीनी निर्यात वृद्धि अधिनियम,1958

(1958 का अधिनियम संख्यांक 30)

[16 सितम्बर, 1958]

लोक हित में चीनी के निर्यात के लिए तथा कतिपय परिस्थितियों में भारत में उत्पादित चीनी पर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण तथा संग्रहण के लिए उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के नवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार – (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम चीनी निर्यात वृद्धि अधिनियम, 1958 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है ।

2. परिभाषाएं- इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "निर्यात" से समुद्र, भूमि या वायु मार्ग द्वारा भारत के बाहर ले जाना अभिप्रेत है;

(ख) "निर्यात अभिकरण" से कोई ऐसा अभिकरण अभिप्रेत है, जो धारा 3 के अधीन इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, और जब कोई ऐसा अभिकरण इस प्रकार विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, तब केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है ;

(ग) "निर्यात कोटा" से धारा 5 में विनिर्दिष्ट निर्यात कोटा अभिप्रेत है;

(घ) "कारखाना" से कोई ऐसा परिसर अभिप्रेत है (जिसमें उसकी प्रसीमाएं भी आती हैं) जिसमें निर्वात कढ़ाह प्रक्रिया द्वारा चीनी का उत्पादन किया जा रहा है ;

(ङ) (i) किसी ऐसे कारखाने के प्रति निर्देश से, जिसका कब्जा पट्टा या बंधक द्वारा अथवा अन्यथा अंतरित किया गया है "स्वामी" से वह अंतरिती अभिप्रेत है जब तक उसका कब्जे का अधिकार अस्तित्व में रहता है;

(ii) किसी ऐसे कारखाने के प्रति निर्देश से, जिसके लिए कोई अभिकर्ता, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाए, नियुक्त किया गया है, "स्वामी" से अभिकर्ता अभिप्रेत है यदि और उस सीमा तक जहां तक उस निमित्त स्वामी द्वारा उसे सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया है ; और

(iii) किसी ऐसे कारखाने के प्रति निर्देश से, जिसका प्रबन्ध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) के अधीन किसी व्यक्ति या व्यक्ति-निकाय द्वारा ग्रहण कर लिया गया है, "स्वामी" से वह व्यक्ति या व्यक्ति-निकाय अभिप्रेत है;

(च) "चीनी" से किसी भी प्रकार की चीनी अभिप्रेत है, जिसमें सुक्रोज नब्बे प्रतिशत से अधिक है;

(छ) "वर्ष" से एक मई से प्रारम्भ होने वाला वर्ष अभिप्रेत है ।

3.निर्यात अभिकरण – (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अर्थ में किसी ऐसी कंपनी को या किसी ऐसे व्यक्ति-निकाय को निर्यात अभिकर्ता के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन निगमित निकाय के रूप में स्थापित हुआ है या मान्यताप्राप्त है।

(2) जहां कोई ऐसी कंपनी या अन्य निगमित निकाय किसी निर्यात अभिकरण के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, वहां ऐसे अभिकरण के लिए यह विधियुक्त होगा कि वह इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, कंपनी के संगम-ज्ञापन या संगम-अनुच्छेदों में या उसे लागू विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, निर्यात अभिकरण के सभी या उनमें से किन्हीं कृत्यों का पालन करे ।

4.निर्यात के प्रयोजनों के लिए चीनी का परिमाण निश्चित किया जाना – (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर चीनी का ऐसा परिमाण नियत कर सकेगी जो किसी अवधि के दौरान निर्यात किया जाए और ऐसा परिमाण नियत करने में केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित को ध्यान में रखेगी :-

(क) भारत में उपलभ्य चीनी का परिमाण,

(ख) चीनी का वह परिमाण, जो उसकी राय में भारत में उपभोग के लिए उचित रूप से आवश्यक हो,

(ग) लोक हित में विदेशी मुद्रा अर्जित करने की दृष्टि से चीनी निर्यात करने की आवश्यकता ।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति इस प्रकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयुक्त की जाएगी कि उस उपधारा के अधीन किसी वर्ष के लिए नियत किया गया परिमाण, उस वर्ष के भीतर आने वाले अक्तूबर मास के साथ समाप्त होने वाले मौसम में, भारत में उत्पादित चीनी के परिमाण के कुल मिलाकर बीस प्रतिशत से अधिक न हो ।

5. कारखानों के लिए निर्यात कोटे – केन्द्रीय सरकार, लिखित आदेश द्वारा धारा 4 के अधीन निर्यात के प्रयोजनों के लिए समय-समय पर निर्यात चीनी का परिमाण स्वामियों में, धारा 4 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट मौसम के दौरान उनके द्वारा क्रमश: उत्पादित या संभाव्यत: उत्पादित की जाने वाली चीनी के परिमाण के अनुपात में प्रभाजित करेगी और ऐसा आदेश प्रत्येक स्वामी को संसूचित किया जाएगा और इस प्रकार प्रभाजित परिमाण के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उस स्वामी के कारखाने का निर्यात कोटा है ।

6.निर्यात अभिकरण को निर्यात कोटा परिदत्त करने का स्वामी का दायित्व – (1) प्रत्येक स्वामी, निर्यात अभिकरण द्वारा मांग पर उसे समय-समय पर अपने कारखाने में उत्पादित चीनी ऐसे परिमाणों में (यथास्थिति, काखाने के लिए या कारखानों के समूह के लिए नियत अपने कुल निर्यात कोटे से अनधिक) ऐसी श्रेणी में, ऐसी रीति में, ऐसे समय के भीतर तथा ऐसे स्थान पर परिदत्त करेगा । जैसा कि उस निर्यात अभिकरण द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) जब उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार किसी स्वामी द्वारा चीनी परिदत्त की गई है, तब स्वामी ऐसी चीनी के बारे में, धारा 9 के अधीन उसके लिए संदाय प्राप्त करने के अपने अधिकार के सिवाय, कोई भी अधिकार नहीं रखेगा ।

7.चीनी पर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क का उद्ग्रहण- (1) जहां किसी स्वामी द्वारा परिदत्त चीनी उसके लिए नियत निर्यात कोटे के किसी परिमाण से (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त परिमाण कहा गया है) कम पड़ती है, वहां भारत में उपभोग के लिए

कारखाने से भेजी गई उतनी चीनी पर जो उक्त परिमाण के बराबर है, [1][प्रति क्विंटल पैंतालीस रूपए और पचपन नए पैसे] की दर से उत्पाद-शुल्क उद्गृहीत तथा संगृहीत किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट उत्पाद-शुल्क, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन चीनी पर प्रभार्य उत्पाद-शुल्क के अतिरिक्त होगा और स्वामी द्वारा ऐसे प्राधिकारी को, जो शुल्क के संदाय की मांग करने वाली सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए और ऐसी अवधि के भीतर, जो नब्बे दिन से अधिक नहीं है, जैसे कि उस सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए संदत्त किया जाएगा ।

(3) यदि कोई ऐसा स्वामी, उसके द्वारा संदेय संपूर्ण शुल्क का या उसके किसी भाग का संदाय उपधारा (2) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं करता है, तो वह ऐसी प्रत्येक तीस दिन की अवधि या उसके किसी भाग की बाबत, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, ऐसी शास्ति संदाय करने का दायी होगा, जो समय-समय पर बकाया शुल्क के दस प्रतिशत तक की हो सकेगी । यह शास्ति उसी प्रकार से अधिनिर्णीत की जाएगी जिस प्रकार से केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1994 (1994 का 1) के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन शास्ति के लिए दायी व्यक्ति की बाबत वह अधिनिर्णीत की जाती है ।

(4) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) तथा तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंध, जिसमें शुल्क की वापसी और शुल्क से छूट से संबंधित नियम भी आते हैं, यावत्शक्य उत्पाद-शुल्क के या इस धारा में निर्दिष्ट किसी अन्य राशि के उद्ग्रण तथा संग्रहण के संबंध में वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे उस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन केन्द्रीय सरकार को संदेय चीनी पर शुल्क या अन्य धन राशियों के उद्ग्रहण तथा संग्रहण के संबंध में लागू होते हैं ।

8.परिदत्त चीनी का निर्यात अभिकरण द्वारा विक्रय – (1) निर्यात अभिकरण इस अधिनियम के अधीन उसे परिदत्त चीनी के निर्यात के लिए सभी क्रियात्मक उपाय करेगा :

परन्तु यदि निर्यात अभिकरण की यह राय है कि किसी स्वामी द्वारा उसे परिदत्त चीनी की क्वालिटी को, या चीनी को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने में हुए परिवहन व्ययों को, या उसे निर्यात करने में संभाव्यत: होने वाले विलम्ब को, या चीनी बाजारें में विद्यमान परिस्थितियों को, चाहे भारत में हों या भारत के बाहर हों, या किसी अन्य सुसंगत परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना समीचीन है तो निर्यात अभिकरण संपूर्ण चीनी या उसके किसी भाग का भारत में विक्रय कर सकेगा और, यदि वह ठीक समझे, चीनी के उतने परिमाण का क्रय कर सकेगा, जितना वह उचित समय पर निर्यात के लिए आवश्यक समझे ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए निर्यात अभिकरण स्वंय चीनी का विक्रय कर सकेगा या स्वामी को, उसकी अभिरक्षा में के संपूर्ण निर्यात कोटे या उसके किसी भाग को अपने द्वारा अनुमोदित कीमत पर विक्रय करने के लिए, इस शर्त पर अनुज्ञा दे सकेगा कि विक्रय के आगम उसे संदेय हों ।

9.परिदत्त चीनी की बाबत स्वामियों को संदाय – (1) निर्यात अभिकरण, ऐसे समय पर, जैसा वह ठीक समझे, ऐसे स्वामियों को, जिन्होंने इस अधिनियम के अधीन उसे चीनी परिदत्त की है, इसमें इसके पश्चात् इस धारा में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार अवधारित संदाय करेगा ।

(2) किसी वर्ष के लिए धारा 4 के अधीन निर्यात के लिए नियत परिमाण की बाबत कुल विक्रय के आगमों में से उस चीनी की बाबत निर्यात अभिकरण द्वारा उपगत कुल व्यय चाहे वह प्रशासनिक व्ययों के रूप में हो या अन्यथा, घटाया जाएगा, और अतिशेष का, स्वामियों में उस वर्ष के दौरान उनके द्वारा अपनी-अपनी परिदत्त चीनी के परिमाण के अनुपात में प्रभाजन किया जाएगा ।

(3) इस अधिनियम के अधीन कोई वितरण करने में, निर्यात अभिकरण ऐसे समायोजन करेगा, जैसे कि किसी स्वामी द्वारा परिदत्त चीनी की श्रेणी को ध्यान में रखते हुए आवश्यक हों, और समायोजन आई.एस.एस.-ई-29 श्रेणी की चीनी के आधार पर तथा चीनी की विभिन्न श्रेणियों के लिए कीमत भेद दर्शक अनुसूची के प्रति निर्देश से किए जाएंगे, जिसे केन्द्रीय सराकर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त प्रकाशित करे ।

---

[1] 1960 के अधिनियम सं० 38 की धारा 8 द्वारा (1-10-1960 से) "सत्रह रूपए प्रति मन" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(4) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी तथा उन नियमों के अधीन रहते हुए, जो इस निमित्त बनाए जाएं, निर्यात अभिकरण स्वामियों को, उनके द्वारा दिए गए चीनी के परिदान के दस्तावेजों के प्रति लेखागत अदायगी कर सकेगा और ऐसे संदाय अंतिम संदाय के समय समायोजित किए जाएंगे ।

10. केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति- धारा 3 के अधीन विनिर्दिष्ट निर्यात अभिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, ऐसे साधारण या विशेष निदेशों द्वारा आबद्ध होगा, जो केन्द्रीय सरकार उसे लिखित रूप में दे ।

11.शक्तियों का प्रत्यायोजन- केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम द्वारा उस पर प्रदत्त कोई शक्ति, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, केन्द्रीय सराकर के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोक्तव्य होगी, जिसे उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

12. अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण- कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, किसी भी ऐसी बात के लिए या किसी ऐसी बात की बाबत, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गई है या की जाने के लिए आशयित हो, निर्यात अभिकरण या केन्द्रीय सरकार या उसके अधिकारियों में से किसी के विरूद्ध न होगी ।

13.नियम बनाने की शक्ति – (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टितया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् : -

(क) ऐसे प्राधिकारी को, जिसे इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, स्वामियों द्वारा चीनी के विनिर्माण, विक्रय, प्रेषण, स्टाक या कीमतों से संबंधित विवरणी या रिपोर्ट या अन्य जानकारी प्रस्तुत करना;

(ख) वह रीति, जिसमें निर्यात अभिकरण के लेखे रखे जाएंगे और उनकी लेखा-परीक्षा की जाएगी;

(ग) कारखानों तथा निर्यात अभिकरण के अभिलेखों तथा रजिस्टरों का निरीक्षण;

(घ) निर्यात अभिकरण द्वारा स्वामियों को संदाय करना;

(ङ) कोई अन्य विषय , जो इस अधिनियम के अधीन विहित किया जाना है या विहित किया जाए ।

(3) इस धारा के अधीन नियम बनाने में, केन्द्रीय सरकार यह निदेश दे सकेगी कि उसका भंग जुर्माने से, जो पांच हजार रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(4) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीध्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष तीस दिन से अनधिक के लिए रखे जाएंगे और वे ऐसे उपांतरों के अधीन होंगे जिन्हें संसद् उस सत्र के दौरान जिसमें वे इस प्रकार रखे गए हैं या ठीक बाद के सत्र के दौरान करें ।

14.[निरसन तथा व्यावृत्ति] निरसन और संशोधन अधिनियम, 1960 (1960 का 58) की धारा 2 तथा अनुसूची 1 द्वारा निरसित ।

———